UPVR010044792026

न्यायालय ADJ/F.T.C. (14th Finance Comm.), Varanasi
पीठासीन अधिकारी– (Manoj Kumar -II), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)–** UP01827
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 1485/2026

प्रतीक कुमार पुत्र स्व. हरि नारायन गुजराती, निवासी- एस.1/10 प्लाट नं. 26, स्टेट बैंक कालोनी, पाण्डेयपुर, थाना लालपुर-पाण्डेयपुर, वाराणसी।

अभियुक्त/आवेदक

बनाम

सरकार

विपक्षी/अभियोजन

मु.अ.सं.- 623/2025,
धारा- 8/21/26(d)/29, एन.डी.पी.एस. एक्ट व
धारा 61(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 208 भारतीय न्याय संहिता,
थाना- सारनाथ, वाराणसी।

1- अभियुक्त प्रतीक कुमार की ओर से मु.अ.सं.- 623/2025, धारा- 8/21/26(d)/29, एन.डी.पी.एस. एक्ट व धारा 61(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 208 भारतीय न्याय संहिता, थाना- सारनाथ, जिला-वाराणसी के अभियोग में यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त/आवेदक दिनांक 29.12.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जनपद वाराणसी में बतौर औषधि निरीक्षक कार्यरत है तथा अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि मुख्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उप्र, लखनऊ के निर्देश के अनुपालन में श्री संजय, सहायक आयुक्त (औषधि), प्रयागराज मण्डल प्रयागराज, के द्वारा पत्र दिनांक-17.10.2025 सहायक आयुक्त (औषधि), वाराणसी मण्डल वाराणसी को सूचना प्रेषित की गयी कि फर्म मेसर्स एमके हेल्थकेयर, प्रयागराज द्वारा फर्म मेसर्स पीडी फार्मा, सा 8/34-सी0-15, तिसरिया परशुरामपुर, सारनाथ, वाराणसी उम्र 221007 को बिल दिनांक-21.09.2025 व 06.10.2025 के माध्यम से कोडीनयुक्त Eskuf Syrup की 89600x 100 ml मात्रा को विक्रय किया गया है तथा क्रेता फर्म के भौतिक निरीक्षण /सत्यापन हेतु अनुरोध किया गया। सहायक आयुक्त (औषधि), वाराणसी मण्डल वाराणसी के निर्देश के अनुपालन में वादी मुकदमा द्वारा दिनांक- 04.11.2025 को फर्म मेसर्स पीडी फार्मा, सा 8/34-सी-15, तिसरियो परशुरामपुर, सारनाथ, वाराणसी का निरीक्षण प्रपत्र/35 पर किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म में कोई भी औषधि एवं क्रय-विक्रय अभिलेख भण्डारित नहीं पाये गये, तथा मौके पर फर्म के प्रोपराईटर विष्णु पाण्डेय, माँगे गये दस्तावेजों को प्रस्तुत

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.
(14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.06.06 11:44:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करने में असफल रहे। वादी मुकदमा द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 22 (1) (डी) के अन्तर्गत फर्म के क्रय-विक्रय पर तत्काल रोक लगायी गयी तथा प्रोपराईटर विष्णु पाण्डेय को मेसर्स-एमके हेल्थकेयर, प्रयागराज, से क्रय की गयी औषधियों का क्रय-विक्रय अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ.प्र. लखनऊ के निर्देशन में औषधि निरीक्षकों की टीम जिसमें श्री राजेश कुमार मौर्या, औषधि निरीक्षक, सोनभद्र एवं श्री कुमार सौमित्र, औषधि निरीक्षक, भदोही, सम्मिलित थे, के द्वारा फर्म का पुन भौतिक निरीक्षण किया गया। मौके पर फर्म बन्द पायी गयी, विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध नम्बरों के माध्यम से प्रोपराईटर विष्णु पाण्डेय से सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा उपस्थित होने में असमर्थता दर्शायी गयी तथा उनके पिता संजय कुमार पाण्डेय उपस्थित हुये फर्म का शटर खोल कर फर्म का निरीक्षण कराया गया जिसमें फर्म में कोई भी औषधि भण्डारित नही पायी गयी और न ही कोई रैक व फ्रिज ही पाया गया। मौके पर स्थलीय आख्या तैयार करते हुये फर्म के प्रोपराईटर विष्णु कुमार के पिता संजय कुमार पाण्डेय का हस्ताक्षर कराया गया एवं 02 दिवस के अन्दर विगत 03 वर्षों के औषधियों के क्रय विक्रय अभिलेख एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में फर्म द्वारा क्रय की गयी औषधियो का विक्रय बिल, क्रेताओं के लाईसेस की प्रति, परर्चेज आर्डर, आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिसके परिशीलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि फर्म द्वारा कोडीनयुक्त सिरप मेसर्स-मां दुर्गा ट्रेडर्स, गया बिहार, मेसर्स अमर एंटरप्राइजेज, पटना बिहार, मेसर्स-माँ काली डिस्ट्रीब्यूटर, रिम झिम क्लब मंदिर के पास अवस्ती घाट दानापुर पटना एवं मेसर्स-श्रीजगन्नाथ इंटरप्राइजेज, रांची झारखण्ड, को विक्रय किया गया है। उक्त क्रेता फर्मों को विक्रय की गयी औषधियो के सत्यापन हेतु वादी मुकदमा द्वारा पुत्र प्रेषित किया गया, परन्तु आज की तिथि तक क्रेता फर्मों द्वारा मोंगे गये अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके सम्बन्ध में औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी उ प्र लखनऊ द्वारा राज्य औषधि नियंत्रण पटना बिहार रांची को प्रेषित पत्र दिनांक 02.12.2025 के माध्यम से से उपरोक्त क्रय-विक्रय के सत्यापन का अनुरोध किया गया परन्तु आज के तिथि तक कोई प्रतिउत्तर/सत्यापन आख्या प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण में श्री अरविन्द कुमार, औषधि निरीक्षक, गोरखपुर, द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 06.12.2025 जो वादी मुकदमा को दिनांक-10.12.2025 को प्राप्त हुआ, यह तथ्य संज्ञान में आया कि फर्म मेसर्स-वीप्रा फार्मास्युटिकल, शप नं-1281 ई न्यू कालोनी सिंघरिया कुनराघाट, गोरखपुर 273008 द्वारा फर्म मेसर्स पीडी फार्मा, वाराणसी को दिनांक-25.06.2024 से दिनांक-03.08.2024 को मध्य कुल 12 बिलों के माध्यम से 13000x100ml न्यू फेन्सेडील कफ सिरप का विक्रय किया गया है। औषधि निरीक्षक, गोरखपुर, द्वारा फर्म के माध्यम से उक्त क्रय-विक्रय के सत्यापन एवं अन्य वांछित सूचनायें प्रस्तुत कराने हेतु अनुरोध किया गया। औषधि निरीक्षक गोरखपुर के अनुरोध पर वादी मुकदमा द्वारा फर्म मेसर्स पीडी फार्मा, वाराणसी को पत्र दिनांक-10 12.2025 प्रेषित करते हुये, मेसर्स-वीप्रा फार्मास्युटिकल, गोरखपुर से किये गये क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु फर्म द्वारा आज की तिथि तक उपरोक्त किये गये क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में माँगे गये दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, और न ही क्रय की गयी कोडीनयुक्त औषधियो के स्टक सत्यापन कराया गया। पोर्टल पर उपलब्ध मो नं भी बन्द है जिसके कारण औषधियों के

क्रय-विक्रय का सत्यापन करना सम्भव नहीं है। उल्लेखनीय है कि कोडीनयुक्त सीरप का गैरचिकित्सकीय प्रयोग नशे के रूप किया जाता है। फर्म उपरोक्त ने विभाग द्वारा प्रदत्त औषधि विक्रय अनुजप्ति का दुरूपयोग कर कोडीनयुक्त औषधियों को अधिक मुनाफा कमाने व सदोष लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम् 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 के नियमों का उल्लंघन कर खुले बाजार में नशे के प्रयोगार्थ विक्रय किया गया है। फर्म द्वारा बिना आवश्यक विक्रय अभिलेखों के कोडीनयुक्त औषधियों को विक्रय करने का अपराध कारित किया गया है। फर्म द्वारा कोडीनयुक्त औषधियो के स्टक सत्यापन नहीं कराया गया कराया गया तथा कानूनी कार्यवाही से बचने के लिये फर्म को बिना किसी सूचना के भौतिक रूप से बन्द कर दिया गया है। इस कार्यालय द्वारा दिनांक-06.11.2025 को औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), वाराणसी मण्डल वाराणसी को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 के नियमों के उल्लंघन हेतु फर्म मेसर्स पीडी फार्मा, सा 8/34-सी0-15, तिसरिया परशुरामपुर, सारनाथ, वाराणसी उप्र 221007 के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। विष्णु कुमार पाण्डेय प्रोपराईटर मेसर्स पीडी फार्मा, वाराणसी द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 के नियमों का उल्लंघन करने के साथ-साथ, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अन्तर्गत छल के प्रयोजन से कूटरचना करने, कूटरचित क्रय-विक्रय बिजको को फर्जी जानते हुए कोडीनयुक्त औषधियों के कय-विक्रय हेतु प्रयोग लाने, लोकसेवक द्वारा अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के के लिये उपस्थित होने के निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा करने, व लोकसेवक के माँगने पर दस्तावेज व इलेक्ट्रनिक अभिलेख प्रस्तुत न करने का अपराध कारित किया गया है।

3- प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से आधार लिया गया है कि प्रार्थी को मु०अ०सं० उपरोक्त में दौरान विवेचना अभियुक्त बनाया गया हैं, वह निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। मुकदमा उपरोक्त के विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचनोपरान्त उपरोक्त धाराओं में प्रार्थी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। मु०अ०सं० उपरोक्त में यह प्रार्थी की प्रथम जमानत प्रार्थना का है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा न तो श्रीमान् जी के न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या भारत वर्ष के किसी भी न्यायालय में न हो कोई जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, न ही लम्बित अथवा निस्तारित है। प्रार्थी दवा का व्यवसाय करता है और प्रार्थी की प्रोपराटरशिप फर्म मेसर्स शिल्पी फार्मा के० 61/136 सप्तसागर मैदागिन वाराणसी में स्थित है और प्रार्थी उक्त फर्म का प्रोप्राइटर है। प्रार्थी की उक्त फर्म लगभग 30 वर्ष पुरानी है, फर्म के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न प्रार्थना पत्र है। अभियोजन कथानक सरासर गलत मनगढन्त व असत्य है जिसमे रंचमात्र भी सत्यता नहीं है। प्रार्थी कथित प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त नहीं है उसे अ०सं० 235/2025 थाना कोतवाली वाराणसी के प्रकरण में गलत तरीक पर नामजद अभियुक्त बनाया गया है, और उक्त मुकदमें में गलत गिरफ्तारी दर्शाकर प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें से भी सम्बद्ध कर दिया गया है। प्रार्थी फर्म मेसर्स शिल्पी फार्मा अनुज्ञप्तिधारी फर्म है एवं प्रार्थी की फर्म को Rule 61(1) एवं Rule 62(2) ड्रग एण्ड कास्मेटिक्स रूल्स 1945 (D&C Rule) के अन्र्तगत अनुज्ञाप्ति

प्रदान की गयी है, जिसमें प्रार्थी की फर्म को विक्रय, स्टाक एवं होलसेल वितरण का अधिकार दिया गया है। प्रार्थी के फर्म की उक्त अनुज्ञाप्ति की सत्य छाया प्रति प्रार्थना पत्र का संलग्नक 2 है। प्रार्थी की फर्म की जाँच दिनांक 12.11.2025 को औषधि निरीक्षक द्वारा की गयी, जिसको फार्म नं०-35 पर उल्लेखित किया गया है एवं उसकी कार्बनप्रति प्रार्थी को प्रदान की गयी है, जिसकी सत्य छायाप्रति इस प्रार्थना का सलंग्नक-3 हैं। अभियोजन का यह आरोप कि जांच करने पर प्रार्थों की फर्म द्वारा कोडीन युक्त सिरप के क्रय-विक्रय करने के सम्बन्ध में कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये, यह सरासर गलत एवं निराधार है। प्रार्थी की फर्म द्वारा कोडीन युक्त सिरप का जो भी क्रय एवं विक्रय दुकानों / फर्मों को किया गया है, उसका सम्पूर्ण प्रपत्र जॉच के दौरान औषधि निरीक्षकों को दिया गया था। औषधि निरीक्षक द्वारा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र धारा 318(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 208 बी.एन.एस. एवं 26 (डी) NDPS- Act में पंजीकृत कराया गया, और दौरान विवेचना, विवेचनाधिकारी के द्वारा मुकदमा उपरोक्त में धारा-8/21/29 NDPS-Act एवं धारा 61(2), 319 (2) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गयी तथा धारा 318 (2) की धटोत्तरी की गयी। शैली ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन दिनांक 20.09.2023 को हुआ है और प्रार्थी का उनके साथ व्यापारिक लेन-देन दिनांक 24.06.2024 से हुआ है। प्रार्थी ने उक्त शैली ट्रेडर्स से "न्यू फेन्साडील कफ सिरप क्रय किया था, जिसके क्रय व विक्रय हेतू प्रार्थी विधि अनुसार अधीकृत है एवं प्रार्थी की फर्म द्वारा जो भी क्रय-विक्रय किया गया, वह दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक उक्त कफ सीरप खरीदे गये थे एवं 24.06.2024 से दिनांक 09.05.2025 तक प्रार्थी ने विभिन्न फर्मों को उक्त कफ सीरप का विक्रय किया गया था। प्रार्थी की फर्म द्वारा उक्त कफ सीरप के क्रय-विक्रय के संबंध में स्टेटमेंट प्रार्थना पत्र का सलंग्नक 4 व 5 है। प्रार्थी की फर्म मेसर्स शिल्पी फार्मा द्वारा जो भी उक्त कफ सिरप का विक्रय किया गया है, वह किसी व्यक्ति विशेष को विक्रय नहीं किया गया है, बल्कि प्राधिकृत होने के कारण उक्त कफ सिरप को विभिन्न फर्मों एवं दुकानदारों को बेचा गया है, जो दवाओं के फुटकर विक्रय का कार्य करते हैं। इस लिये प्रार्थी की फर्म को इस तथ्य का ज्ञान कभी नहीं हुआ की उक्त कफ सिरप का लोगों के द्वारा दुरुप्रयोग किया जा रहा। प्रार्थी की फर्म शिल्पी फार्मा द्वारा उक्त कफ सीरप को जहाँ से कय किया गया व जिन लोगों को विक्रय किया गया, उसे G.S.T बिल, ई-वे बिल मेंव अन्य प्रपत्रों में दर्शाया गया है। अतः यह कथानक झूठा है कि प्रार्थी द्वारा दुरुप्रयोग करनेकी नियत से उक्त कप सीरप का विक्रय किया गया है। प्रार्थी की फर्म द्वारा उक्त कोडिनयुक्त कप सीरपके कय-विक्रय के संबंध में जी०एस०टी० बिल व ई-वे बिल की सत्य छायाप्रति प्रार्थनापत्र का संलग्नक 6 है। NDPS Act में कोडिन मनः प्रभावी पदार्थ नहीं है, न ही कोडिन स्वापक औषधि ही है, अतः बिना किसी स्पष्ट उल्लेख के कि, कथित कफ सिरप में कोडिन की वास्तविक मात्रा कितनी थी तथा क्या वह अधिसूचना-एस-0826 (ई) दिनांक 14.11.1985 (इन्ट्री-35) में निर्धारित सीमा अक्षीत प्रतिडोज 100 एम.जी. और सम्पूर्ण मिश्रण में 2.5% से अधिक को पार करती थी, यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त घटना में NDPS Act का कोई अपराध बनता है। वर्तमान में प्रथम सूचना रिपोर्ट औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 प्राविधानों के प्रतिकूल है तथा उसको विधि सम्मत अधिकार क्षेत्र के बाहर पंजीकृत की गयी है एवं उक्त अधिनियम की धारा-32 के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से उपबंधित है कि कोई औषधि निरीक्षक केवल सक्षम न्यायालय के समक्ष ही शिकायत प्रस्तुत

कर सकते है, परन्तु थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट विधि विरुद्ध है एवं औषधिक निरीक्षक के कार्यक्षेत्र से बाहर है। प्रार्थी की फर्म द्वारा न ही कोई दुष्प्रेरण किया गया है, न ही कोई आपराधिक षड्यंत्र किया गया है, न ही प्रार्थी के फर्म द्वारा कोई कूटरचना की गयी है, न ही किसी मूल्यवान प्रतिभूति, बिल इत्यादि की कोई कूटरचना की गयी है, न ही किसी छल के प्रयोजन हेतु कोई कूटरचना की गयी है, न ही किसी कूटरचित दस्तावेज का असली के रूप में उपयोग किया गया है, बल्कि प्रार्थी की फर्म द्वारा उक्त कफ सिरप के क्रय-विक्रय हेतू जो भी प्रपत्र तैयार किये गये है. वह सत्य है, वह कदापि असत्य नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध धारा 61(2) बी.एन.एस. जो कि आपराधिक षडयंत्र के दण्ड के लिये है, लगायी गयी है. एवं धारा 29 NDPS Act भी साथ साथ लगाया गया है, जिसमें भी आपराधिक षडयंत्र के लिए दण्ड का प्राविधान है। इस प्रकार एक ही अपराध के लिये उक्त दोनो प्राविधान वैधानिक रूप से नहीं लगाये जा सकते हैं एवं इस प्रकार यह पूर्ण से असंवैधानिक है, एवं एक ही अपराध के लिये दोहरे दंड का सिद्धान्त के अन्तगर्त आती है। प्रार्थी की गिरफ्तारी में NDPS Act के आज्ञाप्क प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया गया है। प्रार्थी का सहअभियुक्त लोकेश अग्रवाल के फर्म लोकेश फार्मा से व्यापारिक संबंध रहे है, मात्र सहअभियुक्त लोकेश अग्रवाल के व्हाट्सअप चैट के आधार पर प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें से जोडा गया है, जिसमें तनिक भी सत्यता नहीं है। प्रार्थी पर लगाया गया यह आरोप कि उसके द्वारा सहअभियुक्त लोकेश अग्रवाल के साथ मिलकर कई फर्म खुलवायी, फर्जी कागज तैयार किये व कराये पूर्णत असत्य एवं मनगढन्त है। प्रार्थी का इलाहाबाद के जतिन मिश्रा नामक व्यक्ति से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी के पास से किसी भी शैल कम्पनी के कोई प्रपत्र, बैंक चेक, ए.टी.एम. आदि तथा फर्जी ई-वे बिल की बरामदगी नहीं हुई है। मात्र प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त विष्णु कुमार पाण्डेय के मित्र लोकेश अग्रवाल से व्यापारिक संबंध होने के कारण प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें से सम्बद्ध किया गया है। प्रार्थी पर लगाया गया यह आरोप भी पूर्णत असत्य है कि पश्चिम बंगाल व अलग अलग राज्यों में हवाला नेटवर्क के सिंडिकेट से शुभम व उसके लोग बात करते थे और मुझे (प्रार्थी) पैसा रिसिव करने के लिए कोड मिल जाता था, उन कोडो में 10 रूपये, 100 रूपये, 500 रूपये की गड्डी में 100 की नोट का सिरियल नम्बर व नोट का फटा हुआ टुकडा आता था जिसको मिलाकर पैसे रिसिव करते थे। उक्त के संबंध में दौरान विवेचना बिना किसी अभिलेखीय साक्ष्य के प्रार्थी के उपर उक्त आरोप लगाया गया है जो पूर्णत मनगढन्त व कपोलकल्पित है। वास्तव में प्रार्थी की फर्म एवं प्रार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं कारित किया गया है, बल्कि शासन के दबाव में प्रार्थों के विरूद्ध गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी की फर्म की जांच जिस फार्म नं0 35 पर की गयी है, उसमे कोई जनसाक्षी भी नही रखा गया है। प्रार्थी द्वारा विवेचना में पूर्ण सहयोग किया गया है एवं इस सम्बन्ध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35(3) के अंतर्गत प्रार्थी को नोटिस भी प्राप्त करायी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा विवेचना में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है। प्रार्थी की फर्म फार्मा द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 से शैली ट्रेडर्स से जो भी कोडिनयुक्त कफ सीरप कय किया गया है, उसका जी०एस०टी०आर०४ए की सत्य इन्टरनेट प्रति जो प्रार्थी की फर्म के पोर्टल से निकाला गया है उसकी सत्य छायाप्रति संलग्न प्रार्थनापत्र बतौर संलग्नक 7 है एवं उक्त के संबंध में प्रार्थी की फर्म द्वारा जितनी भी पार्टियों को उक्त कोडिनयुक्त सीरप विक्रय किया गया है उसकी सेल्सबुक दिनांक

01.04.2024 से 31.03.2025 तक सत्य छायाप्रति संलग्न प्रार्थनापत्र बतौर संलग्नक-7 है। प्रार्थी अथवा प्रार्थी की फर्म द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और जमानत पर छूटने के उपरान्त प्रार्थी अथवा प्रार्थी की फर्म द्वारा ऐसे किसी अपराध को किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और न ही पूर्व में किसी अभियोग के लिये अभियोजीत हुआ हैं। प्रार्थी दिनांक 29.12.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त के विचारण में अपना पूर्ण सहयोग करने को तैयार हैं। दौरान जमानत प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा अध्यारोपित हर शर्त का पालन करने को भी तैयार है। प्रार्थी जनपद वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यापारी व संभ्रान्त परिवार का स्थायी निवासी है उसके पलायन की कोई सम्भावना नहीं है।

4- विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध करते हुए कथन किया है कि अभियुक्त/आवेदक पर सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपनी फर्म अग्रवाल ब्रदर्स से 89,600 बोतल कोडिनयुक्त कफ सिरप की फर्जी बिलिंग कर उक्त कफ सिरप का अवैध भण्डारण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करवाकर अनैतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अभियोग है, जो गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

5- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6- अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित आपराधिक वाद दर्ज होने की आख्या प्रस्तुत की गयी है।

क्र.सं.	मुकदमा अपराध संख्या	धारा	थाना व जनपद
1.	235/2025	8/21/26(d)/27(a)/29, एन.डी.पी.एस. एक्ट व धारा 61(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस.	कोतवाली, वाराणसी।

7- अभियुक्त/आवेदक पर सह-अभियुक्तगण शुभम जायसवाल व लोकेश अग्रवाल के साथ आपराधिक षड़यंत्र कर फर्जी कागजात के आधार पर गनेशू फर्म व पी.डी. फार्मा को खुलवाने तथा कोडीन युक्त कफ सिरप व फेंसेडिल का स्टॉक ऑन रजिस्टर्ड फर्म के नाम पर डिलेवरी करवाने तथा रिटेल व होलसेल के माध्यम से मार्केट में बिक्री दिखाकर वास्तविक माल को रूट डाइवर्ट तस्करी करके बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल व बिहार में विक्रय कर आर्थिक लाभ करने तथा हवाला का पैसा रिसीव कर कैश के माध्यम से अन्य सह-अभियुक्तगण को प्रदान करने का अभियोग है।

अभियुक्त/आवेदक प्रतीक कुमार प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है। अभियुक्त/आवेदक का नाम सह-अभियुक्तगण विष्णु कुमार पाण्डेय व लोकेश अग्रवाल के बयान अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस से प्रकाश में आया है।

केस डायरी के पर्चा सं 8 में विवेचक द्वारा अभियुक्त/आवेदक प्रतीक कुमार के मोबाइल नंबर व सह-अभियुक्त लोकेश कुमार के मोबाइल नंबर, व्हाटसएप चैट का अवलोकन किया गया है, जिसमें अलग-अलग पैसों को रिसीव करने के लिये कोड के रूप में 10 रूपये का फुल व फटा हुआ नोट सीरियल सहित अदान प्रदान किया जाना तथा पैसा रिसीव होने

के कनफ़र्मेशन से संबंधित मैसेज तथा प्रकरण से संबंधित फर्म पी.डी. फार्मा व एम.के. फार्मा से संबंधित दस्तावेज ट्रांजेक्शन व बिल पाये गये है।

दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य प्रकरण से संबंधित मेडिकल फर्म शैली ट्रेडर्स एम.के. हेल्थ केयर, राजा मेडिकल एण्ड सर्जिकल सेंटर, गुप्ता मेडिकल एण्ड सर्जिकल सेंटर, विप्रा फार्मास्युटिकल, पी.डी. फार्मा व अग्रवाल ब्रदर्स के मध्य लिंकेज बनाते हुए उक्त फर्मों के मध्य कोडीनयुक्त कफ सिरप की फर्जी बिलिंग कर डायवर्जन करने तथा डायवर्जन से अर्जित ब्लैक मनी को वाइट मनी में कनवर्ट करने में अभियुक्त/आवेदक की संलिप्तता संबंधित साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गंभीर प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

8. आवेदक/अभियुक्त **प्रतीक कुमार** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 1485/2026 निरस्त किया जाता है।

(मनोज कुमार-II)
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी.(14 वाँ वि.आ.),वाराणसी।
जे.ओ.कोड-यू.पी.1827

दिनांकः 06.06.2026
Nikhil

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.
(14 वाँ वित्त आयोग), वाराणसी।